लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स सतीश कुमार, प्रस्तावक, श्री सतीश कुमार, पिता–श्री रामविलाश प्रसाद साह, पुरानी बाजार, जिला–जमुई के द्वारा उलाई नदी ब्लॉक–09 बालू घाट, मौजा–लथानय, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 22.06.2023 को अपराहन् 03:00 बजे प्रखंड सभागार जमुई, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2303/2023, दिनांक 16.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "हिन्दुस्तान", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **20.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सौशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा उलाई नदी ब्लॉक–09 बालू घाट, मौजा–लथानय, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री सतीश कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 09 में 9.20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 114816 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹242.5 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 09 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री रवि कुमार, लथानय, जिला–जमुई के द्वारा सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रस्तावित 4.85/– लाख रूपये किस मद में खर्च किया जायेगा तथा इसमें क्या–क्या कार्य कराया जायेगा की जानकारी मांगी गई। इनके द्वारा सूचित किया गया कि गाड़ियों के आवागमन से ग्रामीण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाता है।	प्रस्तावित परियोजना लागत का 2% राशि, 4.85/– लाख रूपये गांव के विकास यथा सोलर लाईट, नलकुप लगाने, स्कूल किट वितरण इत्यादि कार्यों में एवं ग्राम पंचायत से विमर्श कर उपयुक्त कार्यों के लिए खर्च किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में प्रस्तावित राशि 97,000/– रूपये सड़कों के मरम्मत में खर्च किया जायेगा।
2.	श्री संतोश कुमार, लथानय, जमुई के द्वारा पुछा गया कि बालू खनन से जलस्तर नीचे जाने की संभावना को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जायेगा।	खनन सुखे क्षेत्र में ही किया जायेगा। 1 मीटर से अधिक गहराई में खनन नहीं किया जायेगा। पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से खनन किया जायेगा तथा सभी मापदंडों का पालन किया जायेगा।
3.	श्री राजेन्द्र कुमार, लथानय के द्वारा वर्तमान में उपलब्ध पेड़–पौधे एवं लगाये जाने वाले पेड़–पौधों की सुरक्षा के लिए सुचित रख–रखाव किये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में प्रति हेक्टेयर 10 पेड़, 92 की संख्या में वृक्षारोपन का प्रस्ताव है। लगाये गये वृक्षों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी नियमित सिंचाई एवं अन्य सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ताकि कम से कम 90% वृक्ष जीवित रहें।
4.	श्री गोलू, लथानय, जमुई के द्वारा पुछा गया कि धूलकण के नियंत्रण हेतु क्या उपाय किये जायेंगे।	आवागमन में उपयोग होने वाले रास्तों पर नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा। सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण कराया जायेगा।
5.	श्री सौरभ कुमार, लथानय, जमुई के द्वारा सूचित किया गया कि ओवरलोडिंग से सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है।	परियोजना में गाड़ियों के द्वारा ओवरलोडिंग नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। मुख्य ग्रामीण मार्ग से ढुलाई नहीं की जायेगी। गांव के बाहर से रास्ता बनाकर वाहनों का आवागमन कराया जायेगा। ओवरलोडिंग की शिकायत प्राप्त होने पर जिला खनन पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जा सकता है। प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कारवाई की जायेगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

23-6-2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
भागलपुर।

23/6/23

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स सतीश कुमार, पिता-श्री रामविलाश प्रसाद साह, पुरानी बाजार, जमुई द्वारा जमुई उलाई नदी ब्लॉक 09 बालू घाट, मौजा-लथानय, ब्लॉक-जमुई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक **22.06.2023** को अपराहन् **03:00** बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार जमुई, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Adm (PGR) Cum DPGRO Jamui	22/6/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur B.S.P.C.B	Shambhu 22-6-2023
3.	गोपाल साह	[illegible]	22/06/2023
4.	Spriha	Mines inspector, Jamui	22/06/2023.
5.	Amish Kumar	Asst. Scientific officer, BSPCB, Bhagalpur	Amish 22/06/2023
6.	Rajesh Kumar Vishwas	Environmental Consultant P&M Solution (Noida)	Rajesh
7.	सतीश कुमार	बोधवन तलाब पुरानी बाजार जमुई	सतीश कुमार
8.	[illegible]	लढाने, जमुई	[illegible]
9.	विपिन कुमार	लढाने जमुई	विपिन कुमार
10.	सोरम कुमार	लथाने जमुई	सोरम कुमार
11.	हिंदू साह	तलाणे	हिंदू साह

12.	कृष्ण कुमार	लछाणे	कृष्ण कुमार
13.	सौरव साह	लछाने	सौरव साह
14.	सुनील साह	लछाने	[illegible]
15.	Chhotu Kumar	लछाने	Chhotu Ku
16.	राजेश कुमार	लछाने	Rajesh Kume
17.	Raj Kumar	Jamui	Raj Kumar
18.	धीरेन्द्र	गोस्वामी	धीरेन्द्र
19.	दिलीपराम	दिलीपर	
20.	संजय राम	सुग्गी	संजय राम
21.	संजय गोस्वामी	सुग्गी	संजय गो०
22.	विनोद कुमार	सुग्गी	विनोद कु०
23.	प्रदीप साव	लखाने जमुई	[illegible]
24.	रोहित कु० साह	लछानय जमुई	रोहित कु० साह
25.	सूरज कुमार	लछानय जमुई	सूरज कुमार
26.	राकेश कुमार	लछानय जमुई	Rakesh

27.	Santosh Kumar	लाठाने	[signature]
28.	विक्रम सिंह	लाठाने	[signature]
29.	Hardikar	[illegible]	[signature]
30.	Abhay Kr. Bhagat	Lathane	[signature]
31.	Pritam Kumar	Lathane	[signature]
32.	Vijay Singh.	Lathana.	[signature]
33.	Ravindra mishra	Lathane	[signature]
34.	श्री पति गोस्वामी	लाठाने	श्री पति गोस्वामी
35.	Chandan Kr	"	Chandan Kr
36.	[illegible]	"	[illegible]
37.	Chhotu Goswami	"	Chhotu
38.	Bharath Kumar	Sunil	Bharath
39.	जितेन्द्र कुमार	"	जितेन्द्र कुमार
40.	Kunal Singh	"	[signature]
41.	[illegible]		[illegible]

42.	विकेश कुमार	लहाणे	[illegible]
43.	Santosh Kumar	Lathane	Santosh
44.	Sanjay	Lathane	Sanjay
45.	जितेन्द्र कुमार भगत	लहाणे	जितेन्द्र कुमार भगत
46.	Rajeev Kumar	Lathane	Rajeev Kumar
47.	Rohit Kumar	लहाणे	Rohit Kumar
48.	रंजीत भगत		
49.	Ram Balak Mahal	Lathane	Ram Balak Mahal
50.	Rajnder		Kumar
51.	पंकज कुमार	लहाणे	पंकज कुमार
52.	सुनील कुमार	लहाणे	Sunil Kumar
53.	चंदन कुमार	लहाणे	[illegible]
54.			
55.			
56.			